हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
कार्यालय: हडको भवन, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003
सीआईएन:एल74899डीएल1970GOI005276
वैबसाइट: www.hudco.org.in
ईमेल: cswhudco@hudco.org डिविडेंट.टेक्सx@hudo.org
फोन: 011-24649610-21, 24648193-95

प्रिय शेयरधारक,

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तीसरे अंतरिम लाभांश पर स्रोत पर कर कटौती के संबंध में सूचना/संचार।

हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हडको गुरुवार, 29 जनवरी, 2026 को होने वाली निदेशक मंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तीसरे अंतरिम लाभांश के भुगतान पर विचार कर रहा है।

उपरोक्त अंतरिम लाभांश के भुगतान के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने की रिकॉर्ड तिथि शनिवार, 7 फरवरी, 2026 (बोर्ड के अनुमोदन के अधीन) होगी। लाभांश का भुगतान पात्र शेयरधारकों को इसकी घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

वित्त अधिनियम, 2020 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 ('आईटी अधिनियम') के प्रावधानों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद किसी कंपनी द्वारा घोषित, भुगतान और वितरित लाभांश अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों की आवासीय स्थिति और वर्गीकरण के आधार पर शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य होगा। इसलिए कंपनी को आईटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, लाभांश के भुगतान के समय स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती करने की आवश्यकता होगी।

रियायती दरों पर कटौती सहित स्रोत पर कर की कटौती से छूट का दावा करने के लिए, शेयरधारकों को आईटी अधिनियम के तहत निर्धारित आवश्यक दस्तावेज **9 फरवरी, 2026 (शाम 5 बजे)** तक ही dividend.tax@hudco.org में जमा करने होंगे। 9 फरवरी, 2026 (शाम 5 बजे) के बाद प्राप्त दस्तावेजों और/या अधूरे दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।

डिपॉजिटरी (एनएसडीएल/सीडीएसएल) या बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के साथ उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार, आपको या तो निवासी शेयरधारक या अनिवासी शेयरधारक के रूप में वर्गीकृत किया गया है और स्थायी खाता संख्या (पैन) के आधार पर व्यक्तिगत/कंपनी/फर्म/एचयूएफ/एओपी/ट्रस्ट/अन्य इकाई के रूप में उप-वर्गीकृत किया गया है। यदि उपरोक्त जानकारी में कोई परिवर्तन होता है, तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने रिकॉर्ड जैसे कर आवासीय स्थिति, स्थायी खाता संख्या (पैन) को अपडेट करें और अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने संबंधित डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण पंजीकृत करें, यदि आप डीमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयर धारण कर रहे हैं और यदि आप कंपनी के आरटीए के साथ फिज़िकल मोड में शेयर धारण कर रहे हैं।

निवासी और अनिवासी शेयरधारकों के लिए लागू आईटी अधिनियम के तहत स्रोत पर लागू कर कटौती (टीडीएस) प्रावधान निम्नानुसार हैं:

निवासी शेयरधारकों के लिए

आयकर अधिनियम की धारा 194 के अंतर्गत स्रोत पर करों की कटौती निम्नानुसार की जाएगी: -

यदि वैध पैन प्रदान किया जाता है/उपलब्ध/पंजीकृत होता है	10% या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित के रूप में
यदि वैध पैन प्रदान नहीं किया जाता है/उपलब्ध/पंजीकृत नहीं होता है	20% या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित के रूप में
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के तहत आयकर विभाग द्वारा जारी निम्न/शून्य कर कटौती प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले सदस्य	प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दर

शेयरधारकों, जिन्होंने अभी तक अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट / आरटीए को अपना पैन प्रस्तुत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे तुरंत प्रस्तुत करें।

देय लाभांश पर कोई कर नहीं काटा जाएगा:

क) निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक, यदि:

i. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी द्वारा देय कुल लाभांश की राशि कुल 10,000/- रुपये से अधिक नहीं है; हालांकि, कंपनी निचली सीमा पर कर काट सकती है, ऐसे मामलों में शेयरधारक कर अधिकारियों से धनवापसी के लिए दावा कर सकता है; तथा

ii. ऐसे मामलों में जहां शेयरधारक आईटी अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन फॉर्म 15G (60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए फॉर्म 15H) प्रदान करता है, फॉर्म 15G/15H या ऊपर बताए गए किसी अन्य डॉक्यूमेंट को प्रदान करने वाले सदस्यों के लिए PAN की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी अनिवार्य है।

ख)बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश कोष, न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित निगम और अन्य गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में, कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा, बशर्ते कि कंपनी की संतुष्टि के लिए पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य नीचे दिए गए अनुसार प्रस्तुत किए गए हों:

शेयरधारक की श्रेणी	**आवश्यक दस्तावेज़**
बीमा कंपनियां	पंजीकरण प्रमाण पत्र और पैन की स्व-सत्यापित प्रति के साथ धारित शेयरों के लाभकारी स्वामी होने की स्व-घोषणा ।
म्यूचुअल फंड	स्व-घोषणा कि वे आईटी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित हैं, साथ ही पैन और सेबी पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति।

भारत में स्थापित/निगमित वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)	एक स्व-घोषणा कि इसकी आय को आईटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत छूट दी गई है और वे पैन और सेबी पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति के साथ सेबी नियमों के तहत श्रेणी I या श्रेणी II एआईएफ के रूप में स्थापित और शासित हैं।
नई पेंशन प्रणाली ट्रस्ट	एक स्व-घोषणा कि वे पैन और पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति के साथ आईटी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा शासित हैं
एक केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित निगम	दस्तावेजी साक्ष्य कि निगम आईटी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कवर किया गया है और साथ ही पैन और पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति भी शामिल है
अन्य गैर-व्यक्तिगत निवासी शेयरधारक	आईटी अधिनियम की धारा 194 के तहत कर कटौती से छूट प्राप्त शेयरधारकों और आईटी अधिनियम की धारा 196 के तहत आने वाली श्रेणियों के पैन की सत्यापित प्रति के साथ दस्तावेजी साक्ष्य

अनिवासी शेयरधारकों के लिए:

करों को धारा 195 के प्रावधानों और आईटी अधिनियम की अन्य लागू धाराओं के अनुसार लागू दरों पर काटा जाना आवश्यक है। टीडीएस 20% (लागू अधिभार और उपकर के साथ) या कर संधि दर के रूप में, जो भी कम हो, की दर से होगा।

हालांकि, आईटी अधिनियम की धारा 90 के अनुसार, अनिवासी शेयरधारकों के पास भारत और सदस्य के कर निवास के देश के बीच दोहरे कर से बचने के समझौते (डीटीएए) के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प है, यदि वे उनके लिए अधिक फायदेमंद हैं। इस उद्देश्य के लिए, यानी डीटीएए के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, अनिवासी शेयरधारकों को 9 फरवरी, 2026 से पहले निम्नलिखित प्रदान करना होगा:

- भारतीय आयकर अधिकारियों द्वारा आवंटित वैध पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति;
- उस देश के कर अधिकारियों द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2025-26 को कवर करने वाले टैक्स रेजीडेंसी सर्टिफिकेट (टीआरसी) की स्व-सत्यापित प्रति, जिसका शेयरधारक निवासी है;
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 10एफ। फॉर्म 10F इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है, ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/IEC/foportal;
- वित्तीय वर्ष 2025-26 की लागू कर संधि के अनुसार भारत में कोई स्थायी प्रतिष्ठान नहीं होने की अनिवासी शेयरधारक द्वारा स्व-घोषणा;
- अनिवासी शेयरधारक द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लाभकारी स्वामित्व की स्व-घोषणा;

- स्व-घोषणा कि अनिवासी शेयरधारक वित्तीय वर्ष 2025-26 में संबंधित कर संधि के लाभ का दावा करने के लिए पात्र है;
- आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज, यदि लागू हो, तो करों की रोक को कम करने के लिए, सदस्य द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया हो।

विदेशी संस्थागत निवेशकों/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के मामले में, आईटी अधिनियम की धारा 196 डी @ 20% (साथ ही लागू अधिभार और उपकर) के तहत कर काटा जाएगा।

कंपनी लाभांश राशि पर कर कटौती/रोक के समय लाभकारी कर संधि दरों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। करों को रोकने के उद्देश्य से कर संधि की लाभकारी दर का आवेदन अनिवासी शेयरधारक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की कंपनी द्वारा पूर्णता और संतोषजनक समीक्षा पर निर्भर करेगा।

कंपनी शून्य/रियायती दरों पर कर की कटौती से छूट का दावा करने के लिए गलत/अपर्याप्त जानकारी प्रदान करने के लिए कंपनी पर बाद में उठाई गई किसी भी मांग को वसूलने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है।

यदि उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में या देर से प्राप्त होने के कारण लाभांश पर कम कर का लाभ कंपनी द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है, तो शेयरधारकों के पास अभी भी अपने आयकर रिटर्न दाखिल करते समय उचित धनवापसी का दावा करने का विकल्प होगा, यदि पात्र हो। एक बार कटौती के बाद करों के लिए कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।

ऐसे शेयरधारक जिनके पास अलग-अलग स्थिति/श्रेणी के तहत एक से अधिक खाते हों

यदि एक ही पैन के तहत अलग-अलग स्थिति/श्रेणी के तहत कई खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को पैन के तहत शेयर रखने की स्थिति पर लागू कर से अधिक पर विचार किया जाएगा, तो अलग-अलग खातों में उनकी पूरी होल्डिंग पर विचार किया जाएगा।

कर कटौती के बारे में जानकारी:

ए) कंपनी टीडीएस की कटौती के समय मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज का लाभ नहीं देगी। शेयरधारक अपनी आय रिटर्न दाखिल करते समय इस तरह के लाभ का दावा कर सकते हैं।

बी) शेयरधारक www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध "अपना टैक्स क्रेडिट देखें" सुविधा का भी उपयोग कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें, फॉर्म 26एएस में क्रेडिट कंपनी द्वारा तिमाही आधार पर टीडीएस रिटर्न दाखिल करने के बाद दिखाई देगा, और इसे आयकर विभाग द्वारा संसाधित किया जाता है;

सी)शेयरधारक https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर अपने ई-फाइलिंग खातों से फॉर्म 26एएस/एआईएस की जांच कर सकते हैं

डी)यदि शेयरधारकों द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर आवश्यक दस्तावेज और विवरण प्रदान नहीं किए जाते हैं, तो आईटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टीडीएस काटा/विनियमित किया जाएगा। यदि टीडीएस को किसी विशेष मामले में कर की लागू दर से अधिक माना जाता है, तो ऐसे अतिरिक्त टीडीएस की वापसी का दावा शेयरधारक द्वारा किया जा सकता है जैसा कि

कानून के तहत प्रदान किया गया है। हालांकि, टीडीएस की ऐसी कटौती के लिए कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा;

ई) शेयरधारक (शेयरधारकों) द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी गलत बयानी से उत्पन्न होने वाली किसी भी आयकर मांग (ब्याज, जुर्माना, आदि सहित) की स्थिति में, ऐसे शेयरधारक कंपनी को क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होंगे और कंपनी द्वारा पसंद की जाने वाली अपीलीय कार्यवाही में सभी जानकारी/दस्तावेज और सहयोग प्रदान करेंगे;

एफ) इसके अलावा, जिन शेयरधारकों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे पंजीकृत करें। यदि शेयर फिज़िकल मोड में रखे जाते हैं, तो कृपया कंपनी के आरटीए को फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें।

जी) यदि शेयर डीमैट मोड में रखे जाते हैं, तो कृपया अपने DP को DPID-CLID (16-अंकों DPID + क्लाइंट ID या 16-अंकों की लाभार्थी ID), नाम, PAN (पैन कार्ड की सेल्फ-अटेस्टेड स्कैन की गई कॉपी), आधार (आधार कार्ड की सेल्फ-अटेस्टेड स्कैन की गई कॉपी) प्रदान करें;

एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") के निर्देशों के अनुसार, कंपनी को अपने सदस्यों को लाभांश और अन्य नकद लाभ वितरित करने के लिए प्रेषण के इलेक्ट्रॉनिक मोड के उपयोग को सक्षम करने के लिए कंपनी के सदस्यों के बैंक विवरण को अपडेट करना आवश्यक है।

कंपनी को शेयरधारकों के बैंक खातों में लाभांश का त्वरित/समय पर जमा करने में सक्षम बनाने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके संबंधित डीमैट खातों में उनके बैंक खाते का विवरण अपडेट किया गया है। यदि शेयर फिज़िकल रूप में रखे जाते हैं, तो बैंक खाते के विवरण का आवश्यक अद्यतन, यदि आवश्यक हो, कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के साथ किया जाना चाहिए।

नोट: टीडीएस से छूट का दावा करने के लिए प्रासंगिक फॉर्म तक पहुंचने का लिंक नीचे दिया गया है:

नोट: टीडीएस से छूट का दावा करने के लिए प्रासंगिक फॉर्म तक पहुंचने का लिंक नीचे दिया गया है:

https://hudco.org.in/writereaddata/TDS-Deduction-Claim-form.pdf

इस संचार को कंपनी की ओर से कर सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

अस्वीकरण: उपरोक्त जानकारी कर या कानूनी सलाह का गठन नहीं करती है। कर जटिलताओं की व्यक्तिगत प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक निवेशक को सलाह दी जाती है कि वह विशिष्ट कर निहितार्थों के संबंध में अपने स्वयं के कर सलाहकारों से परामर्श करे।

****